दि हरियाणा इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन बिल, 2005

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Haryana Industrial Promotion Bill, 2005 and will also move the motion for its consideration.

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala): Sir, I beg to introduce the Haryana Industrial Promotion Bill, 2005.

Sir, I also beg to move—

That the Haryana Industrial Promotion Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved —

That the Haryana Industrial Promotion Bill be taken into consideration at once.

श्री बलवंत सिंह (एस. सी.,सढौरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जो हरियाणा इंडस्ट्रियल प्रमोशन बिल लाए हैं उसमें चैप्टर 2 में 3 कमेटीज हैं, 5 करोड़ तक डिस्ट्रिक्ट लैवल पर, 5 करोड़ से 30 करोड़ तक स्टेट लैवल पर और 30 करोड़ से ऊपर के लिए हाई पावर्ड परचेज कमेटियां बनी हुई हैं। आज भी जी०एम० डिस्ट्रिक्ट लैवल पर बैठे हैं। स्टेट लैवल पर एच०एस०आई०डी०सी० काम कर रही है और हाई पावर्ड परचेज कमेटी भी बनी हुई है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हाई पावर्ड परचेज कमेटी बनी हुई है तो फिर इस दूसरी कमेटी के बनाने का क्या औचित्य है? इसके बाद चैप्टर दो में क्लॉज 13 के अनुसार जब कमेटियां बन जाएंगी तो कमेटी के जो मैम्बर्ज हैं, चेयरमैन है या कोई भी सदस्य है, चाहे वे पब्लिक रिप्रैजेंटेटिव है या दूसरा कोई भी सदस्य है अगर उसकी वजह से कोई डिले होती है तो उस मैम्बर को कोई सजा का प्रोवीजन इस बिल में नहीं है। जबकि जो यूनिट हैं उसको गिलटी मानकर उसको सजा का प्रोवीजन इस बिल में है। ये दो मापदंड क्यों हैं? इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर यूनिट कोई गलत काम करता है तो उसको सजा मिल सकती है तो कमेटी के चेयरमैन या मैम्बर की तरफ से कोई डिले होती है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। दोनों आदमियों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, धन्यवाद।

डॉ० सुशील इन्दौरा (एस०सी० ऐलनाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल के जो ऑब्जेक्टस हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस बिल के जो ऑब्जेक्टस हैं उसमें एक बात कही गई है to promote the industrial development और उसके लिए to attract all investment of the multinational and बड़े औद्योगिक घराने हैं, उसमें कुछ क्लॉज ऐसी हैं जिसमें उनको प्रोटैक्शन नहीं है। जो व्यक्ति इण्डस्ट्री लगाता है वह पैसा उधार ले कर लगाता है या कहीं से लोन लेता है और इण्डस्ट्री लगाता है उसके लिए इसमें कोई प्रोटैक्शन नहीं है इसलिए इसमें ऐसा कुछ कानूनी प्रावधान रखा जाना चाहिए। जिस तरह से इस बिल में यह लिखा गया है कि जो मैम्बर्ज या चैयरमैन होंगे वे गुड फेथ में जो भी फैसला लेंगे that will be final और उसको कहीं पर भी चैलैंज करने का कोई प्रावधान नहीं है nothing is challengeable. एक गरीब आदमी कहीं से लोन ले कर इण्डस्ट्री लगाता है और गुड फेथ में कहीं पर उससे भी गलती हो सकती है, अगर किसी इण्डस्ट्रियललिस्ट से कोई गलती हो जाए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और उस गलती को ठीक करने के लिए इस बिल में कहीं पर भी कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि वह व्यक्ति कोर्ट में जा सके

या उसे कहीं पर चैलैंज कर सके। अध्यक्ष महोदय, इस बिल में कोई ऐसा सिस्टम जरूर होना चाहिए कि गुड फेथ में उसके मैम्बर्ज या कमेटी के चेयरमैन से अगर कोई गलती होती है या इण्डस्ट्रियलिस्ट के साथ कोई ज्यादती होती है तो उसके खिलाफ वह कोर्ट में जा कर अपनी बात कर सके। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक इण्डस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी कि हम विशेषतौर से इण्डस्ट्री को बढ़ावा देंगे जो Coordination between the labour in between the industries, in between the Government कोई ऐसा प्रोविजन हो कि वह अपनी बात को कानूनी तौर पर कह सके। लेकिन इसमें ऐसा कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है कि वह कानूनी लड़ाई लड़ सकता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस बिल में सुधार करके इसको लागू किया जाए तो यह सही कदम होगा।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, हरियाणा प्रान्त में एक नई औद्योगिक क्रान्ति का सूत्रपात करने के लिए हरियाणा इण्डस्ट्रियल परमोशन बिल, 2005 इस विधान सभा में हम लेकर आए हैं। जैसे इस बिल के ऑबजैक्ट्स एण्ड रीजन्ज में लिखा है कि जो रैगुलेटरी फ्रेम वर्क इण्डस्ट्री लगाने के लिए, उसके स्पीडी इम्पलीमैंटेशन के लिए आज किसी भी प्रान्त के अन्दर इण्डस्ट्रीज में निवेश करने के लिए नए उद्योग लगाने के लिए यह एक जरूरी माप-दण्ड है। स्पीकर सर, आज सारे प्रान्त अपने-अपने प्रान्तों के अन्दर ज्यादा से ज्यादा निवेदन करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रोजगार का सृजन हो और ज्यादा से ज्यादा उद्योग वहां पर आएं इस तरह का प्रावधान करना चाहते हैं। हरियाणा प्रान्त में चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कुशल नेतृत्व में हमने यहां पर एक नई क्रान्तिकारी पहल की है। माननीय साथी श्री इन्दौरा साहब का जो सुझाव था मैं केवल उनकी जानकारी के लिए यहां पर बताना चाहूंगा कि This is an industrial promotion Bill. This is not to promote better relationship between the labour and industry. वह डिफरैंट ऐक्ट एण्ड डिफरैंट कानून है। स्पीकर सर, हरियाणा की सरकार ने विशेष प्रावधान किया है जो मोटेतौर पर कहा है कि जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लैवल पर क्लीयरैंस कमेटी बनाई गई है अगर कोई उद्योगपति जो पांच करोड़ तक का निवेश करना चाहेगा वह आए और उसको सिंगल प्वायंट क्लीयरैंस इस बिल के माध्यम से हरियाणा की सरकार देगी। इसी प्रकार से पांच करोड़ से तीस करोड़ का निवेश अगर कोई लेकर आएगा तो प्रान्तीय स्तर की जो कमेटी है वह उसको सारी क्लीयरैंसिज देगी। एक ही जगह पर उसका निवेश 30 करोड़ रुपये से अधिक होगा तो हाई पॉवर क्लीयरैंस कमेटी सभी प्रकार की क्लीयरैंस वह उस उद्योगपति को देगी ताकि उसकी सभी जरूरीयात हम जल्दी से जल्दी पूरी कर सकें। और प्रदेश के अन्दर ज्यादा निवेश आए प्रदेश की तरक्की हो और अधिक रोजगार का सृजन हो और जितना जल्दी हो सके राज्य में उद्योग धन्धे लग सकें। स्पीकर सर, इस सरकार के गठन के बाद प्रदेश में उद्योग तथा कृषि में एक नई क्रान्ति आई है तथा पूरा माहौल तथा फिजां बदली है। हुक्मरानों के साथ ही प्रान्तों की फिजां बदलती है। स्पीकर सर, एक समय वह भी था जब आपने भी देखा और हमने भी देखा तथा प्रान्त में एक करोड़ से अधिक लोगों ने भी देखा जब सरकार की मन्शा यह होती थी कि किस तरह से ज्यादा से ज्यादा लूट खसोट की जाए। उस समय आतंक का सरकारीकरण कर दिया गया था। स्पीकर साहब, गुण्डागर्दी का आलम चण्डीगढ़ सचिवालयों से चला करता था और उद्योगपतियों के घरों के आगे, फैक्ट्रियों के आगे खाईया खोद दी जाती थीं और जब तक वे लोग एक विशेष राशि व्यक्ति विशेष को नहीं देते थे तब तक उनके उद्योग-धन्धों को चलने तक की इजाजत नहीं दी जाती थी। स्पीकर सर, चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इस प्रथा तथा तौर तरीकों को बदला है और हमने नई रवायतें डाली हैं और एक पारदर्शी तथा ईमानदार सरकार का गठन हुआ है। और इसी प्रथा के चलते हम एक

[श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला]

पारदर्शी बिल लेकर आए हैं। हरियाणा में जहां कहीं किसी भी प्रान्त में भी कोई उद्योगपति चाहे वह राष्ट्रीय स्तर से आए या अन्तरराष्ट्रीय स्तर से आए, निवेश करना चाहे कर सकता है। किसी को भी एक पैसा दिए बगैर ही उसको फटाफट क्लीयरैंस दी जाएगी। स्पीकर सर, इस बात का भी प्रावधान इस बिल में किया गया है कि अगर एक विशेष सीमा के अन्दर उसको क्लीयरैंस नहीं दी जाएगी तो एक डिम क्लीयरैंस उसके सारे प्रोजैक्ट को दी गई मानी जाएगी। आज मुझे विपक्ष के साथियों से आशा थी कि इस मुद्दे पर जो कि प्रान्त की तरक्की का मुद्दा है, इस प्रान्त को आगे ले जाने का मुद्दा है, नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करने का मुद्दा है के बारे में ये सब आगे बढ़कर मुख्यमंत्री जी का शुक्रिया करेंगे और इस बिल की ताईद करेंगे लेकिन इनकी तो बाल की खाल निकालने की आदत है। (विघ्न) स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूँ कि इस बिल को पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Question is—

That the Haryana Industrial Promotion Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now the House will consider the Bill clause by clause.

Sub-Clause - 2 of Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub- Clause - 2 of Clause - 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause - 3 of Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause - 3 of Clause - 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clauses - 2 to 16

Mr. Speaker : Question is—

That Clauses - 2 to 16 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Sub-Clause - 1 of Clause - 1

Mr. Speaker : Question is—

That Sub-Clause -1 of Clause - 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed

Transport Minister (Shri Randeep Singh Surjewala) : Sir, I beg to move—

That the the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

श्री एस० एस० सुरजेवाला (कैथल) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा सरकार को इस बिल को लाने के लिए बहुत-बहुत मुबारिकबाद और बधाई देता हूँ। वाकई में हरियाणा में बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ापन का अगर सबसे बड़ा कोई कारण था तो यह था हरियाणा में इण्डस्ट्रीलाईजेशन। इस बारे में एक सच बात है कि आज पूरे संसार में बहुत नजदीकी आ गई है और आज व्यापार में तमाम रूलज और लाल फिताशाही बहुत ही क्वीक पेस से खत्म की जा रही है उसमें आज हरियाणा इस बिल को लाए बिना कदम से कदम मिलाकर चल नहीं सकता था। पिछली सरकार ने बहुत शोर मचाया, पूरी दुनिया में गई और सैर करी। कभी साथ में मंत्रियों को, कभी एम०एल०एज० को, कभी आफिसर्ज को और कभी इण्डस्ट्रियलिस्टस को साथ ले गए थे। स्पीकर सर, यह लूट की इण्डस्ट्री पिछली सरकार के वक्त में थी। उस वक्त में हरियाणा में कोई दूसरी इण्डस्ट्री नहीं आई थी। सच बात तो यह है कि जो यहां पर हजारों उद्योग थे वे इनकी लूट के कारण से हरियाणा से प्लायन कर गए और इन्होंने जो अपराधों को हरियाणा में एन्क्रेज किया उस कारण से भी उद्योग प्लायन कर गए थे। अब स्टेट में परोपर वातावरण बना है, लोगों का विश्वास और इण्डस्ट्रियलिस्ट का विश्वास सरकार में और इस प्रान्त के लोगों में दोबारा से बना है। इस समय में यह बिल लाना बहुत ही एप्रिशिएबल है। यह बिल बहुत ही अच्छे समय में लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बिल में एक तो यह नहीं बताया गया है कि जो तीन टायर कमेटीज बनेंगी जैसे हाई पावर्ड कमेटी है, स्टेट की कमेटी है या डिस्ट्रिक्ट कमेटी है तो इनके कौन लोग मैम्बर्ज होंगे, कौन लोग इनके चेयरमैन होंगे क्योंकि हमको इस बात का खदशा है कि अगर इनके मैम्बर्ज और चेयरमैन अफसरशाही के लोग ही हुए तो फिर लालफीताशाही को पूर्ण रूप से खत्म नहीं किया जा सकेगा। मैं समझता हूँ कि टैक्नीकल लोग, डिपार्टमेंटल सैक्रेट्रीज और कंसर्ड ओफिसर्ज इन कमेटी के मैम्बर्ज होने बहुत जरूरी हैं लेकिन ऐक्चुअल में पूरी कमेटी की जो लगाम होगी, जो इनका स्टैयरिंग होगा वह किन लोगों के हाथ

[श्री एस० एस० सुरजेवाला]

में होगा? मैं यह भी चाहूंगा कि जब मंत्री जी जवाब दें तो वे हाउस को इस बारे में अवगत करवाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने कई दफा इस बिल की तीन चार क्लॉज पढ़ी हैं क्योंकि मैं खुद इनको समझना चाहता था लेकिन हो सकता है कि मैं इनको समझ नहीं सका हूँगा। इसमें हर क्लॉज में एक ही बात आयी है। मैं इस बिल की एक क्लॉज को पढ़ देता हूँ। स्पीकर सर, इस बिल के चैपटर II की Clause 2 (V) में लिखा है कि--

> "The member of the Committee shall Personally attend the meeting and in case he is unable to attend the meeting, he may depute a senior level officer to attend the meeting with a written authorization to take appropriate decision in the meeting."

यह बहुत जगह आया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी, हाई पावर्ड लेवल पर भी कि the memebr of the Committee. A member of the Committee होता तो ऐप्लीकेबल हो सकता था बहुत से आफिसर्ज के लिए भी और बहुत से लोगों के लिए भी। The member of the Committee is a particular person. वह कौन हैं यह जरा मुख्यमंत्री जी जवाब देते वक्त इस पर रोशनी डालने की कोशिश करें। बाकी इस बिल के बारे में जितना भी कहा जाए वह थोड़ा है। अभी मुख्यमंत्री जी और अधिकारी भी विदेश जाकर आये हैं और बहुत सी कम्पनियों जैसे कोरिया और जापान की कम्पनीज हैं उनसे वे जो बड़ा वायदा लेकर आये हैं वह बहुत एनकरेजिंग है। इसके अलावा उनकी यहां पर भी पिछले दो चार महीनों में इस बारे में काफी मीटिंग्ज हुई हैं। इस सरकार के आने के बाद काफी विदेशी लोग स्टेट में इन्वैस्टमैंट करने के लिए आये भी हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही उत्साहजनक बात है। मैं समझता हूँ कि इसमें और डिले की जरूरत नहीं है। सारी फार्मेलिटीज और लालफीताशाही को ड्रैस्टिकली कट करना ही चाहिए और एन्टरप्रिनयोर को एनकरेज करना चाहिए। इसी से हरियाणा की बढ़ती हुई बेरोजगारी दूर होगी, इसी से हरियाणा का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर होगा और दिमाग में रोशनी आएगी। मुझे उम्मीद है कि परमात्मा हमारे सज्जे हाथ बैठने वालों को भी रोशनी देगा।

श्री नरेश यादव (अटेली) : आनरेबल स्पीकर साहब, यह जो इण्डस्ट्रियल प्रमोशन बिल आज हाउस में लाया गया है इसके लिए मैं सरकार को मुबारकवाद देता हूँ। हमारे दक्षिणी हरियाणा में अहीरवाल क्षेत्र में महेन्द्रगढ़ जिले को मोस्ट बैकवर्ड घोषित किया हुआ है। पिछले विधान सभा सत्र में भी इस बारे में काफी बहस हुई थी। तब हमारे उद्योग मंत्री ने यह कहा था कि महेन्द्रगढ़ जिले की डिवैल्पमैंट की जाएगी और वहां पर इस बारे में एक सर्वे करवाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उस समय मैंने सुझाव दिया था कि अटेली के नजदीक लगता हुआ बहरोड़ जिले का जो नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र है यह हमारे जिले की सीमा से केवल सात किलोमीटर की दूरी पर ही है। आज वहां पर काफी ज्यादा इंडस्ट्रियललाइजेशन हो रही है और सैकड़ों बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री वहां पर लग चुकी हैं। हमारा इलाका भी वहां पर साथ लगता हुआ ही है। हमारा सारा जिला उससे घिरा हुआ ही है तो मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि जिला महेन्द्रगढ़ में भी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेंगे? क्या कोई ऐसी स्कीम बनायी जाएगी कि जब इंडस्ट्रियललिस्टस नीमराणा में जाएं तो वे यह भी सोंचे कि नीमराणा के नजदीक जो नांगल चौधरी, अटेली मंडी या नारनौल का एरिया है वह इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अच्छा है और वे वहां पर भी अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए प्रोत्साहित हों, क्या कोई ऐसा

प्रावधान मुख्यमंत्री जी करवाएंगे कि लोग अपनी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए महेन्द्रगढ़ जिले में जाएं जिससे वहां के हमारे लोगों को रोजगार मिलें।

चौ० धर्मपाल सिंह मलिक (गोहाना) : स्पीकर सर, मैं हरियाणा इंडस्ट्रियल प्रमोशन बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन इसके बारे में 2-3 सुझाव देना चाहता हूँ क्योंकि बिल के आने से यह ठीक है कि प्रदेश का बहुत आर्थिक लाभ भी होगा, बेरोजगारी खत्म होगी और पिछले पांच सालों में जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहां से चली गई, कोई भिवाड़ी चला गया, कोई बद्दी चला गया और कोई नालागढ़ चला गया और ऊपर का दिखावा यह होता रहा कि हरियाणा बहुत तरक्की कर रहा है। लेकिन अब वाकई में इसे कानून की शक्ल दे दी है और यह जाहिर हो गया है कि सरकार इंडस्ट्रीज को प्रमोट करेगी, लेकिन इसके लिए मेरा सुझाव यह भी है कि एक तो जो एरिया अलरेडी इंडस्ट्रियली बैकवर्ड डिक्लेयर्ड हैं उनको ज्यादा इंसैंटिव दिए जाएं ताकि उन एरियाज की डिवैल्पमैंट हो। दूसरी बात मैं नौकरियों के बारे में कहना चाहता हूँ जौब्स तो आएंगी और फाइलें क्लीयर करने के लिए सारा प्रावधान कर दिया, सब कुछ मिलेगा, सभी तरह की असिस्टैंस मिलेगी, फाइनैंशियल असिस्टैंस मिलेगी, लेकिन कम से कम जो नॉन टैक्नीकल जौब्स हैं वह हरियाणा के ही डौमिसाइल्स को मिलनी चाहिएं, बाहर के लोगों को न मिलें इससे हरियाणा के बेरोजगार नवयुवकों का भला हो सकता है। यह मेरा सुझाव है।

श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला : स्पीकर सर, चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने कमेटी के बारे में पूछा है और उसके कांस्टीच्यूशन के बारे में पूछा है। अगर इस ऐक्ट का 2 (के) देखा जाए तो उसके अंदर यह प्रिस्कराइब किया है prescribed means, prescribed by rules made under the Act. इस कमेटी का गठन रूल्ज के अंदर किया जाएगा मोटे तौर पर सेल्ज का प्रारूप तैयार किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे हाउस को और मैंबर साहेबान को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि टैक्नीकल ऐक्सपर्ट्स और जिम्मेदार ऑफीसर्ज इस कमेटी के अंदर आएंगे। पूरी पारदर्शिता इसकी फंक्शनिंग में होगी। कहीं कोई कोताही की गुंजाइश हम नहीं छोड़ने वाले। जहां तक इसके स्टेयरिंग का सवाल है इसका स्टेयरिंग चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में है और वह ठीक चलेगा। माननीय सदस्य श्री नरेश यादव ने दक्षिणी हरियाणा के बारे में पूछा है मैं इनको बताना चाहूंगा कि इसका इस प्रकार का इंडस्ट्रियल प्रमोशन बिल ही जवाब है। इसका इरादा आपके उद्योगों को आगे जाकर राजस्थान में न जाने देने का है। हम उनको थोड़े समय में पारदर्शिता से ईमानदारी से यहीं पर सुविधायें देंगे तो कोई कारण नहीं है कि बड़े उद्योग आपके इलाके को छोड़कर आगे जाएंगे। अगला फोकस पूरी सरकार का चाहे पानी का मामला है, चाहे बिजली का है, चाहे उद्योग धंधों का मामला है, उसका हमारा केन्द्रबिंदु दक्षिणी हरियाणा है और आप आश्वस्त रहें, आप अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में परिवर्तन देखेंगे, जमीनी स्तर पर भी, रोजगार के सृजन में भी और निवेष के अंदर भी परिवर्तन देखेंगे। माननीय श्री धर्मपाल सिंह गलिक ने इसके अलावा बैकवर्ड क्लॉसिज एरियाज को इंसैंटिव देने की बात कही है। मेरी जानकारी के मुताबिक बताना चाहूँगा कि एल०ए०डी०टी० और वैट दोनों को अभी भी कुछ इंसैंटिव हरियाणा की सरकार बैकवर्ड क्लासिज एरिया को देती है। हमारी इण्डिस्ट्रियल पॉलिसी की कॉपी मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा ताकि माननीय सदस्य इसकी पूरी जानकारी ले सकें। चौधरी धर्मपाल मलिक ने हरियाणा के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार सृजन की बात कही है यह हमारी सरकार और मुख्यमंत्री जी की पहली प्राथमिकता है और जो इन्होंने केवल नॉन टैक्नीकल जौब्स की बात कही है, केवल नॉन टैक्नीकल ही नहीं टैक्नीकल जौब्स भी दी जाएंगी। एजूकेशन सिटी का गठन आपकी सरकार कर रही है। अलग-अलग शिक्षण संस्थानों का जो प्रसार है वह यह सरकार

कर रही है ताकि हमारे यहां के बच्चे टैक्नीकल पोस्ट और नॉन टैक्नीकल पोस्ट दोनों में अव्वल आएं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इन उद्योगों के अंदर काम हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा। मैं आपके माध्यम से सदन से यह अनुरोध करता हूँ कि यह बिल पारित कर दिया जाए।

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow.

*16.45 Hrs. (The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 15th December, 2005.

40815—HVS—H.G.P., Chd.